न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:—98/2019

जी.सी.एम.एस नं.—2019/00142

ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर (राज.)

———वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र प्रभू पुत्र ठुनिया चौधरी निवासी जम्बल तहसील देहरा जिला कांगड़ा हि.प्र.)
2. फूलादेवी पत्नी प्रभू पुत्र ठुनिया चौधरी निवासी जम्बल तहसील देहरा जिला कांगड़ा हि.प्र.)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————प्रतिवादीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित—

1. श्री तिलकराज चुघ एडवोकेट वादी की ओर से
2. श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट प्रतिवादीगण सं.—1 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 01/12/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 ए एम तसहील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. —18 पत्थर नं.—222/36 का किला नं.—16 ता 18, 21 ता 25 के 8 बीधा कृषि भूषि की हद तक प्रतिवादी सं.—1 व 2 के पिता/पति प्रभू पुत्र ठुनिया के नाम से आवंटन आदेश दिनांक 24.04. 1994 को आरम्भ से शून्य व विधी विरूद्ध मानते हुए ऐसा आंवटन आदेश निरस्त किया जावे तदुपरांत मृक आवंटी सोहनलाल पुत्र हरसुख के अधिकार के तहत वादी का विवादित कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे और तदुनुसार विवादित कृषि भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने का आदेश प्रतिवादी सं.—1 को दिया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं.—1 व 2 को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादी सं.—2 की हद तक दिनांक 27.03.2023 को दावा Abate किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.04 14:52:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 ने **प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा** सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि चक 3 ए एम तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं. 18 पं.सं.— 222/36 के कि.नं.—6 ता 18, 21 ता 25 के 8 बीधा कृषि भूमि वादी के पिता सोहनलाल को भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा निष्क्रांत कृषि भूमि (कस्टोडियन) कलेम में विनाक 24.04.1963 को आवंटित होनी बताई है जबकि वादाधीन भूमि पौगबान्ध आरक्षित रक्बा है और पौगबांध आरक्षित

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

रक्बा होने के कारण ही वर्ष 1973 में पौगबान्ध विस्थापित होने के नाते मन प्रतिवादी के पिता प्रभू पुत्र ठूनिया को दिनांक 08.08.1973 को सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा पुख्ता आवंटित की गई है अगर वादी की भूमि भारत सरकार की थी तो वादी को पौगबान्ध गजट नोटिसफिकेशन के खिलाफ अपील के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिऐ थी ऐसी स्थिति में वादी का मामला अपीलीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नही है ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है तथा कब्जा के आभाव में धारा 88 के अर्न्तगत वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ना ही वादग्रस्त भूमि का अनुतोष पौगबांध विस्थापित आरक्षित रक्या होने के कारण माननीय न्यायालय प्रदत कर सकती है ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिल निरस्ती के है। प्रतिवादी की बहन फुलादेवी की मृत्यू हो चुकी है वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है तथा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद कारण दर्शित करते हुऐ वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती के है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थी/वादी ने निवेदन किया कि है कि प्रस्तुत मामला दावा के जरिये ही अनुतोष लिया जा सकता है। अपील किये जाने के आधार नही है। वाद में दर्ज कृषि भूमि पर वादी का ही कब्जा है। प्रतिवादी का कब्जा नहीं है। वाद पत्र विधी द्वारा वर्जित नहीं है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जायें।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादी/प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं.–1 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादी द्वारा उपरोक्त वाद में चक 3 ए एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–18 पं.सं.–222/36 के कि.नं.–6 ता 18, 21 ता 25 के 8 बीधा कृषि भूमि वादी के पिता सोहनलाल को भू[illegible] राष्ट्रपति द्वारा निष्क्रांत कृषि भूमि (कस्टोडियन) कलेम में विनाक [illegible] जबकि वादाधीन भूमि पौगबान्ध आरक्षित रक्बा है और पौ[illegible] के कारण ही वर्ष 1973 में पौगबान्ध विस्थापित होने के नाते मन प्रतिवादी के पिता प्रभू [illegible] ठूनिया को दिनांक 08.08.1973 को सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा पुख्ता आवंटित की गई है अगर वादी की भूमि भारत सरकार की थी तो वादी को पौगबान्ध गजट नोटिसफिकेशन के खिलाफ अपील के माध्यम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.04 14:52:05 IST
Reason: SelfAttested

से चुनौती दी जानी चाहिऐ थी ऐसी स्थिति में वादी का मामला अपीलीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नही है वादी का वाद पोषणीय नही हैं तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादी का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नहीं है। वादी का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में प्रतिवादी सं.–1 विवादित कृषि भूमि पौगबान्ध आरक्षित रक्बा है और पौगबाधं आरक्षित रक्बा होने के कारण ही वर्ष 1973 में पौगबान्ध विस्थापित होने के नाते मन प्रतिवादी के पिता प्रभू पुत्र ढूनिया को दिनांक 08.08.1973 को सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा पुख्ता आवंटित की गई है। वादी का हस्तगत वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादीगण सं.–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादीगण सं.–1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादी का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 01/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.12.04 14:52:05 IST
Reason: SelfAttested